

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 2030-33/एम.सी./4/ राज/2018

भोपाल, दिनांक...15./06/2018

प्रति,

Dr. Zainab Ahmad  
H.No.-A, 126 Alkapuri  
Bhopal M.P.

विषय:-कार्यभार ग्रहण अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन

संदर्भ:-अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का नियुक्ति  
आदेश क्रमांक 17775-83/ दिनांक 26/05/2018 एवं आपका आवेदन दिनांक  
01/06/2018 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय के संदर्भित आदेश द्वारा आपकी नियुक्ति निश्चेतना विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर की गई है उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 09/06/2018 थी। दिनांक 01/06/2018 को प्रस्तुत आवेदन में उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में आपके द्वारा 03 माह की वृद्धि चाही गई है।

नियमानुसार कार्यग्रहण अवधि में 15 दिवस की वृद्धि निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. 15 दिवस की अवधि दिनांक 10/06/2018 से 24/06/2018 तक होगी।
2. यह वृद्धि अंतिम अवसर के रूप में प्रदान की गई है।
3. निर्धारित तिथि (दी गई वृद्धि की अवधि) तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। इस हेतु किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थेसिया विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 280-33 / एम.सी. / 4 / राज / 2018

भोपाल, दिनांक.....15 / 06 / 2018

प्रति,

Dr. Zainab Ahmad  
H.No.-A, 126 Alkapuri  
Bhopal M.P.

विषय:—कार्यभार ग्रहण अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन  
संदर्भ:—अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का नियुक्ति  
आदेश क्रमांक 17775-83 / दिनांक 26 / 05 / 2018 एवं आपका आवेदन दिनांक  
01 / 06 / 2018 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय के संदर्भित आदेश द्वारा आपकी नियुक्ति निश्चेतना विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर की गई है उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 09 / 06 / 2018 थी। दिनांक 01 / 06 / 2018 को प्रस्तुत आवेदन में उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में आपके द्वारा 03 माह की वृद्धि चाही गई है।

नियमानुसार कार्यग्रहण अवधि में 15 दिवस की वृद्धि निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. 15 दिवस की अवधि दिनांक 10 / 06 / 2018 से 24 / 06 / 2018 तक होगी।
2. यह वृद्धि अंतिम अवसर के रूप में प्रदान की गई है।
3. निर्धारित तिथि (दी गई वृद्धि की अवधि) तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। इस हेतु किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थेसिया विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल ।

क्रमांक 2030-33/एम.सी./4/ राज/2018

भोपाल, दिनांक 15/06/2018

प्रति,

Dr. Zainab Ahmad  
H.No.-A, 126 Alkapuri  
Bhopal M.P.

विषय:-कार्यभार ग्रहण अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन

संदर्भ:-अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का नियुक्ति आदेश क्रमांक 17775-83/ दिनांक 26/05/2018 एवं आपका आवेदन दिनांक 01/06/2018 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय के संदर्भित आदेश द्वारा आपकी नियुक्ति निश्चेतना विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर की गई है उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 09/06/2018 थी। दिनांक 01/06/2018 को प्रस्तुत आवेदन में उक्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में आपके द्वारा 03 माह की वृद्धि चाही गई है।


नियमानुसार कार्यग्रहण अवधि में 15 दिवस की वृद्धि निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

1. 15 दिवस की अवधि दिनांक 10/06/2018 से 24/06/2018 तक होगी।
2. यह वृद्धि अंतिम अवसर के रूप में प्रदान की गई है।
3. निर्धारित तिथि (दी गई वृद्धि की अवधि) तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपका नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। इस हेतु किया गया कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

//  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थेसिया विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,  
भोपाल।